भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 213

दिनांक 02.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना

213. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक हर घर जल योजना के तहत शत प्रतिशत नल जल आपूर्ति हासिल करने वाले राज्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आपूर्ति किए जा रहे नल के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जा रहे दूषित जल पीने के कारण होने वाली मृत्यु की राज्य और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) हाल ही में केरल में दूषित जल पीने के कारण होने वाली मौतों के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ङ): अगस्त, 2019 से भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। अब तक, लगभग 7.81 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.06 करोड़ (57.12%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जलापूर्ति होने की सूचना दी गई है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा जिनमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है, निम्नानुसार है

2020	गोवा
2021	तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव
2022	गुजरात, हरियाणा

जल जीवन मिशन के तहत, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस: 10500 मानक को अपनाया जाना है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि परिवारों को आपूर्तित जल निर्धारित गुणवत्ता वाला है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता का समय-समय पर परीक्षण करने और जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खतरनाक गुणवत्ता वाली जल आपूर्ति के सेवन के कारण होने वाली मौतों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

जेजेएम के अंतर्गत, केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों के लिए पीने योग्य जल की आपूर्ति की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और चालू होने में समय लगता है, तो मात्र अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) और व्यक्तिगत घरेलू शोधक (आईएचपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 8-10 लीटर की दर से सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण कराने तथा पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और देख-रेख में समर्थ बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 2022-23 में ही, 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में लगभग 42.85 लाख जल नमूनों और फील्ड टैस्टिंग किट के माध्यम से 77.29 लाख जल नमूनों का परीक्षण किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से रिपोर्ट किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर भी देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आम जनता के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने की सलाह दी गई है ताकि वे मामूली दर पर अपने जल के नमूनों का परीक्षण करा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों अधिमानत: महिलाओं की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें ताकि वे ग्रामीण स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण कर सकें और डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट कर सकें। अब तक लगभग 18.06 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

****